




## आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Government of India Undertaking)

### सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का चार्टर

देश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के सर्वांगीण विकास हेतु



- त्वरित मंजूरी हेतु चेक लिस्ट युक्त सरलीकृत और ग्राहक-मित्रवत ऋण आवेदन पत्र (हमारे वेबसाइट [www.andhrabank.in](http://www.andhrabank.in) में उपलब्ध हैं.)
- शाखाओं द्वारा ऋण आवेदन प्राप्त किये जाने पर पावती दी जाती है.
- सभी मर्दों को पूरा कर प्रस्तुत किया आवेदन, प्रस्तुत किये जाने की तारीख से वितरण करने के समय मान दंड :

क) ₹ 25,000 तक	1 सप्ताह
ख) ₹ 25,000 से ₹ 2.00 लाख तक	2 सप्ताह
ग) ₹ 2.00 लाख से ₹ 5.00 लाख तक	4 सप्ताह
घ) ₹ 5.00 लाख से अधिक	8-9 सप्ताह

- मार्जिन आवश्यकताएं :

क) ₹ 25,000 तक	शून्य
ख) ₹ 25,000 से अधिक	15% - 40% (बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार)

- ₹ 600.00 लाख तक कार्यपूँजी सीमाओं का संगणन नायक समिति के सिफारिशों के अनुसार 20% प्रत्याशित कुल कारोबार पर होगा.
- उचित व्यवहार संहिता का अनुसरण
- महिला उद्यमियों के लिए विशेष ब्याज दर
- ₹ 5.00 लाख तक के अग्रिमों के लिए संपार्थिक प्रतिभूति पर जोर नहीं दिया जाएगा.
- ₹ 5.00 लाख से ₹ 25.00 लाख तक के अग्रिमों के लिए इकाई के अच्छी ट्रैक रिकार्ड और वित्तीय स्थिति के आधार पर संपार्थिक प्रतिभूति नहीं होगी.

- यदि इकाई सूक्ष्म और लघु उद्यम के ऋण गैरण्टी न्यास (सीजीटीएमएसई) के अंतर्गत कवर की जाती है तो 1.5% एक बारगी गैरण्टी शुल्क और 0.75% वार्षिक सेवा शुल्क के साथ ₹ 50.00 लाख तक संपार्श्विक/अन्य पक्षकार गैरण्टी मुक्त ऋण सीमाएं (निधि आधारित).
- महिला उद्यमियों के लिए ₹ 15.00 लाख तक की ऋण सीमाओं के लिए **एलीप और सीजीटीएमएसई** के सहयोग से पारस्परिक ऋण गैरण्टी योजना.
- एकल गवाक्ष धारणा के अंतर्गत सावधि ऋण/कार्यपूँजी के लिए ₹ 100.00 लाख तक संमिश्र ऋण.
- ₹ 50.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए राष्ट्रीय पूँजी निधि के अंतर्गत सुलभ ऋण.
- महिला उद्यमियों के लिए ₹ 10.00 लाख तक की परियोजना लागत के लिए महिला उद्यम निधि के अंतर्गत सुलभ ऋण.
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (केवीआईसी का आरईपीजी) ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर जोर देने वाली औद्योगिक और सेवा इकाइयों की स्थापना हेतु ₹ 25.00 लाख तक के ऋण.
- सरलीकृत ऋण योजना "**एबी पवर टूल्स (शक्ति)**" - **सीईपीए ग्रूप** (बढई, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और आटो मेकानिक) कारीगरों के लिए पवर टूल खरीदने एवं कार्यपूँजी के लिए ₹ 1.00 लाख तक ऋण.
- तकनॉलजी उन्नयन हेतु 45 विनिर्दिष्टत उद्यमों की इकाइयों में 15% ऋण संयोजित पूँजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के अंतर्गत ऋण.
- लघु उद्यमियों को सरलीकृत और झंझट रहित ऋण :
  - ₹ 10.00 लाख तक कार्यपूँजी आवश्यकताओं के लिए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी)
  - जरूरत मंद हस्त शिल्पियों एवं बुनकर एवं अन्य कारीगरों के लिए : आर्टिसान क्रेडिट कार्ड (एसीसी) : एकल व्यक्ति के लिए ₹ 30,000 और समूह के लिए ₹ 2.00 लाख तक ऋण.
  - स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड (एससीसी) : ₹ 25,000 तक ऋण.
- संभाव्य अर्थक्षम यूनितों को ऋण पुनर्संरचना सुविधा
- प्रतिस्पर्धात्मक ब्याज दर ढांचा : \$

ऋण सीमा	ब्याज दर
₹ 2.00 लाख तक	बी एम पी एल आर - 1.50% प्रति वर्ष
₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक	बी एम पी एल आर - 1.25% प्रति वर्ष (3 वर्ष से अधिक सावधि ऋण के लिए 0.25% टर्म प्रीमिया जोड़ें)
₹ 10.00 लाख से अधिक	(बी एम पी एल आर - 1 से बी एम पी एल आर)* (3 वर्ष से अधिक सावधि ऋण के लिए 0.25% टर्म प्रीमिया जोड़ें)

\* क्रेडिट रेटिंग के अधीन

- \$ क्रेडिट रेटिंग और सीमा राशि से बिना किसी संबंध, महिला उद्यमियों के लिए ब्याज में 0.50% अतिरिक्त रियायत दी जाती है.
- एसएमईआरए द्वारा प्रभारित रेटिंग शुल्क का 50% वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है (अधिकतम ₹ 5,000)
- **सिडबी और आं.प्र.राज्य वित्तीय निगम के साथ एस एम ई का संयुक्त वित्त पोषण/सह वित्त पोषण.**
- देश भर की 16 विशिष्टीकृत एसएमई \* शाखाओं द्वारा एसएमई इकाइयों पर विशेष ध्यान देने हेतु विशिष्ट सेवाएं प्रदान की जाती हैं :

\*जगन्नाथपुर, गंजाम, ओड़ीषा \* अनुप्पर पालयम, तमिलनाडु \*कोयम्बत्तूर, तमिलनाडु \*मोहाली, चंडीगढ़ \*भीमवरम, आन्ध्र प्रदेश \*गुण्टूर, आन्ध्र प्रदेश  
\*बाला नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश \*एचएमटी इंडस्ट्रियल एस्टेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश \*रामचंद्रापुरम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश \*मल्लापूर, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश  
\*नाचारम, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश \*उप्पल, हैदराबाद आन्ध्र प्रदेश \*दानवाड़पेट, राजमंड्री, आन्ध्र प्रदेश \*आटोनगर, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश  
\*आमदालवलस, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश \*गाजुवाका, विशाखपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश

- सेवा की गुणवत्ता में और सुधार लाने हेतु हमारी विशिष्टीकृत एसएमई शाखाओं में वर्तमान और संभाव्य उद्यमियों के साथ आवधिक बैठकों में इंटरैक्शन.
- ग्राहकों की बैंक से संबंधित शिकायतों/मदों को निपटाने हेतु हमारी सभी शाखाओं में/आंचलिक कार्यालयों में और प्रधान कार्यालय में शिकायत निवारण प्रणाली विद्यमान है.

**आन्ध्रा बैंक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु कटिबद्ध है**